22/01/2021

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त। विपक्षीगण उपस्थित नही। आवाज लगवाई गई उपस्थित नही। न्यायालय समय समाप्त होने से पूर्व पुन: आवाज लगवाई गई विपक्षीगण उपस्थित नही। अत: विपक्षीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाते हैं। बहस प्रकरण अधिवक्ता प्रार्थीगण सुनी गई।

हमने पत्रावली का अध्ययन कर अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण नकल जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 अनुसार ग्राम बराडा प. ह. ओछडी तहसील चित्तौड़गढ़ की आ. नं. 179 रकबा 0.68, 714/190 रकबा 0.66 कीता 2 रकबा 1.34 हे के खातेदार हैं अत: प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की ग्राम बराडा प. ह. ओछडी स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 179, 714/190 कीता 2 कुल रकबा 1.34 हे० भूमि की बिना किसी के कब्जे मे दखलन्दाजी किए सेटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। पत्थरगढी शुल्क 1000.00 रूपए अक्षरे एक हजार रूपए प्रार्थीगण वहन करेगें। पालनार्थ तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को लिखा जावे कि पक्षकारान को लिखित सूचना देकर नियमानुसार पत्थरगढी की जावे एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय मे प्रस्तुत करें। निर्णय लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

2020
00010

(श्याम सुन्दर विश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2021.01.28 11:51:24 IST
Reason: SelfAttested